भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 680

गुरूवार, 5 फरवरी, 2026/16 माघ, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान

680 श्री कणाद पुरकायस्थ:

डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंह:

श्री मदन राठौड़:

श्री मयंककुमार नायक:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्यटन के विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत पहचान किए गए गाँवों की संख्या कितनी है;

(ख) जनजातीय होमस्टे और ग्राम पर्यटन के लिए कितनी निधि जारी की गई है;

(ग) मंत्रालय द्वारा सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) क्या उक्त पहलें स्थानीय रोजगार और आय के अवसर उत्पन्न कर रही हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ङ): पर्यटन मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में होमस्टे के विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (पीएम-जेयूजीए) के तहत स्वदेश दर्शन की एक उप-योजना के रूप में 'जनजातीय क्षेत्रों में होमस्टे का विकास' नामक योजना की शुरूआत की है।

इस योजना में जनजातीय क्षेत्रों की पर्यटन क्षमता का लाभ उठाने और जनजातीय समुदायों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने के लिए होमस्टे के विकास की परिकल्पना की गई है। इसके तहत ग्राम समुदाय की आवश्यकताओं के लिए 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता, प्रत्येक परिवार के लिए दो नए कमरों के निर्माण के लिए 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता और प्रत्येक परिवार के मौजूदा कमरों के नवीनीकरण के लिए 3 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना का उद्देश्य पर्यटकों और स्थानीय समुदायों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को सुगम बनाकर देश भर के जनजातीय गांवों में समुदाय-आधारित जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देना है, जिससे

आगंतुकों को एक प्रामाणिक जनजातीय ग्रामीण अनुभव प्रदान किया जा सके और साथ ही स्थानीय आबादी का सामाजिक-आर्थिक लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

इसमें क्षमता-निर्माण संबंधी हस्तक्षेपों की भी परिकल्पना की गई है, जिसमें स्थानीय समुदायों का कौशल विकास, स्थायी और जिम्मेदारीयुक्त पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देना और आदिवासी होमस्टे के लिए विपणन सहायता शामिल है।

इस योजना के तहत, मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र सहित 5 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कुल 17.52 करोड़ रु. की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। हालांकि, अभी तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

*****